# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

अपील संख्या 76/2019:–

1. अशोक कुमार पुरोहित पुत्र स्व. प्रहलाद उम्र वयस्क जाति पारिक ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर हाल निवासी 20ए श्रीराम बिहारजी सिरसी रोड, कनकपुरा जयपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती रूकमा देवी पत्नी स्व. श्री मदनलाल उम्र वयस्क जाति पारिक ए–33 विवेकानन्द कॉलोनी नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर 302039 (नाम हज्फ) दिनांक 09/7/2021 के आदेश से
2. भंवरलाल पारिक पुत्र स्व. मदनलाल उम्र वयस्क जाति पारिक ए–33 विवेकानन्द कॉलोनी नया खेडा अम्बाबाडी जयपुर
3. जगदीश पुत्र स्व. मदनलाल उम्र वयस्क जाति पारिक ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
4. हरिनारायण पुत्र स्व. मदनलाल उम्र वयस्क जाति पारिक प्लाट नं. 8 गुरूदेव बिहार–11 पानी की टंकी के पास अनोखा गांव रोड हरमाडा जयपुर
5. रामजीलाल पुत्र स्व. मदनलाल उम्र वयस्क जाति पारिक ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
6. रामकिशोर पुत्र स्व. मदनलाल उम्र वयस्क जाति पारिक ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
7. प्रेम देवी स्व. श्री मदनलाल पत्नि मामराज उम्र वयस्क जाति पारिक निवासी गढ के पास दादा मोहल्ला अजीतगढ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)
8. दुर्गा देवी पत्नी किशोरचन्द ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
9. नानगी देवी पत्नी किशोर चन्द ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
10. राज. सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जयपुर
11. उपपंजियक उपपंजियन कार्यालय शाहपुरा जयपुर
12. प्रबन्धक एस.बी.आई शाहपुरा जिला जयपुर
13. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक अजीतगढ़
14. योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व. प्रहलाद उम्र वयस्क जाति ब्राहमण ग्राम करीरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
15. सुशीला देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नी अशोक पारिक उम्र वयस्क जाति ब्राहमण म. नं. 388 कमरक का कुंआ गैटोर रोड ब्रहमपुरी जयपुर
16. प्रेम देवी पुत्री स्व. श्री प्रहलाद पत्नि स्व. श्री रामधन उम्र वयस्क जाति ब्राहमण आत्माराम कॉलेज के पास ग्राम पंचायत बस्सी जिला जयपुर

तरतीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम 1956 (एल.आर एक्ट) विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 23/6/1986

## निर्णय

दिनांक 24.9.21

अपीलान्ट ने नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 23/6/1986 से व्यथित होकर उक्त नामा. के विरूद्व अपील पेश की है। अपीलान्ट द्वारा अपील में निम्नप्रकार तथ्य पेश किये हैं :–

1. यह है कि अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट 14 लगायत 16 की पुश्तैनी खातेदारी भूमि हाल खाता संख 321 का खसरा नम्बर 1285 रकबा 0.55 है., ख.नं. 1286 रकबा 0.14 है., खाता संख्या 322 का खसरा नम्बर 1291 रकबा 0.76 है. हाल खाता संख्या 593 का ख.नं. 36 रकबा 0.22 है. कुल किता 04 रकबा 1.67 हैक्टर है।
2. यह है कि अपीलान्ट व तरतीबी अपीलान्ट संख्या 14–16 के पिता प्रहलाद दत्तक पुत्र भागीरथ निर्वसीयती की मृत्क दिनांक 17/11/1982 को हो गयी थी उसकी मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1–7 के पूर्वजों ने सरकारी कर्मचारी से मिलकर एक नामा.सं. 36 दिनांक 23/6/86 को अपीलान्ट को बिना जानकारी दिये भरवाकर तस्दीक कराया । उक्त नामा. ने अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट 14–16 के पिता प्रहलाद को ना ओलाद फौत बताया तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम करवाली। तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्व तरिके से खोला गया है, जिसके विरूद्व अपील प्रस्तुत है।
3. यह है कि मृत्क प्रहलाद दत्तक पुत्र भागीरथ के प्रथम श्रेणी के वारिसान् जो कि इस अपील में अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14–16 है जो नामा. भरते समय मौजूद थे, जिसको छुपाकर उक्त नामा. राजस्व कर्मचारियों से मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के पूर्वजों ने अपने हक में खुलाया है, जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10, 11 एवं उसके कर्मचारियों का यह दायित्व था कि वे मृत्क प्रहलाद के नामा. खोलते समय प्रहलाद के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच करते तथा प्रथम श्रेणी के वारिसान नहीं होने पर द्वितीय श्रेणी के वारिसानों का नामा. खोलते, लेकिन ऐसी जांच राजस्व कर्मचारियों ने नहीं की । अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट प्रथम श्रेणी के वारिसानों को छुपाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 की पूर्वज श्रीमती धापा देवी को मृत्क प्रहलाद की बहन बताकर नामा. खोला गया है जो अवैध है क्योंकि धापा देवी मृत्क प्रहलाद की बहिन भी नहीं थी ना ह ीवह मृत्क की प्रथम श्रेणी की वारिस थी ना ही द्वितीय श्रेणी की वारिस थी अर्थात धापा देवी का मृत्क प्रहलाद व उसकी सम्पत्ति से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं था मात्र सम्पत्ति हडपने की नियत् से राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामा. खोला गया था जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।
4. यह है कि उक्त नामा. भरते समय प्रहलाद को ना औलाद फौत बताया गया है, जो कि उनकी मृत्यु के समय उनके तीन पुत्र दो पुत्रियां जिनमें अपीलान्ट संख्या एक तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 तथा प्रभूदयाल थे। प्रभूदयाल नाऔलाद फौत हो गया था। इस कारण उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। दो पुत्रियां तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 15 एवं 16 थी। इस प्रकार प्रहलाद के तीन पुत्र व दो पुत्रियां होते हुये भी उनको ना औलाद फौत बताया जाना तथा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नामा. खोला जाना जिनका उससे कोई वास्ता नहीं था। यह सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व एवं कूट रचित कार्यवाही है, जो महज सम्पत्ति हडपने की गरज से रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के पूर्वज व राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलाकर की गयी थी। इस कारण उक्त नामा. को खारिज किया जावें ।
5. यह है कि उक्त नामा. खोलते समय अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया, जबकि प्राकृतिक सिद्वान्त के अनुसार अपीलान्ट के पिता की भूमि का नामा. खोलते समय अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिया जाना चाहिए था। इस कारण भी निरस्तनीय है।
6. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामा. तस्दीक करने सम्बन्धी लैण्ड रिकॉर्ड रूल्स 121(4) की कतई पालना नहीं की ना ही अपीलान्ट उनके पूर्वजों का

नामा. की जानकारी दी गयी। इस कारण भी आदेश कानून की परिभाषा में नहीं आता है।

7. यह है कि मृत्क प्रहलाद की ग्राम करीरी में अन्य कृषि भूमियां थी, जो उनकी मृत्यु के बाद उनका विरासत का नामा. भी अपीलान्ट व अन्य वारिसान् के नाम से तस्दीक किया गया, जिससे भी प्रश्नगत नामा. विधि विरूद्व रूप से रेस्पोडेन्ट की पूर्वज धापा देवी के नाम से तस्दीक करना अपने आप में साबित है।

8. यह है कि दिनांक 27/11/82 का प्रहलाद की मृत्यु होने के उपरान्त अपीलान्ट ने अन्य भूमियों के साथ नामा. खुलवाने के लिए दस्तावेजात् पटवारी हल्का को दे दिये गये थे, परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने अन्य भूमियों के नामा. तो अपीलान्ट के नाम खोल दिये गये परन्तु प्रश्नगत नामा. रेस्पोडेन्ट से मिलकर उनके हक में तस्दीक कर दिया गया। उक्त तथ्य की जानकारी अपीलान्ट को कभी नहीं हुयी। अपीलान्ट ने यह माना की अन्य खातों के साथ प्रश्नगत नामा. भी अपीलान्ट के नाम से खोल दिया गया होगा। अपीलान्ट राजकीय सेवामें जयपुर पद स्थापित होने के कारण इस सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी नहीं हो सकी।

9. यह है कि तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1–7 के पूर्वजो से मिलकर अवैध एवं फर्जी तरिके से उक्त नामा. की कार्यवाही की है जो कि अवैध आदेश है तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अवैध आदेश के सम्बन्ध में मियाद का सिद्वान्त लागू नहीं होता है फिर भी अपीलान्ट द्वारा अपील पेश करने में हुयी देरी को कन्डोन करने के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।

10. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 7 के द्वारा उक्त भूमि साबिक ख.नं. 1285/0.55 है0 1286/0.14 है0 व 129/0.76 है0 में से हिस्सा 1/2 किता 3 कुल रकबा 1.07 है0 प्रश्नगत नामा. के आधार पर पक्षकार बनाया है।

11. यह है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के पक्ष में नामा.सं. 681 दिनांक 06/8/2001 खुलवाया गया, जो विधि विरूद्व है। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 12 ने तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने 13 के रहन रखे जाने कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 12 व 13 को पक्षकार बनाया है।

12. यह है कि अपील जानकारी दिनांक 22/11/2019 के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है तथा विधि विरूद्व पारित आदेश के विरूद्व अपील पेश करने में हुयी देरी हेतु धारा 5 का प्रार्थना–पत्र अलग से प्रस्तुत है।

13. यह है कि अपील श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण अपील को खुनने एवं तैय करने का अधिकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने पर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व खोले गये नामा.सं. 36 दिनांक 23/6/1986 एवं नामा.सं. 681 दिनांक 06/8/2001 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 14 से 16 के पक्ष में नामा. खोले जाने के आदेश जारी करावें।

14. अपीलार्थीगण् द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी । रिपोर्ट समायत पायी जाने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये। बाद तामील होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 9 की ओर से श्री रामकिशोर यादव एडवोकेट उपस्थित आये ।

15. बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में कथन किया हे कि उक्त नामा. सं. 36 दिनांक 23/6/1986 को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा स्वीकार कर निर्णय विधि विरूद्व पारित किया है। अपीलान्ट व तरतीबी

रेस्पोडेन्ट मृत्क प्रहलाद के प्रथम विरूद्व पारित किया है। अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट मृत्क प्रहलाद के प्रथम श्रेणी के वारिसान् है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 7 के बुजुर्गो द्वारा मृत्क प्रहलाद को ना औलाद बताया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 10 व 11 के राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर उक्त नामा.सं. 36 श्रीमती धापा देवी के नाम से स्वीकार कराया है जो विधि विरूद्व है। धापा देवी मृत्क प्रहलाद की बहिन बतायी जाकर उक्त नामा. खोला गया है, जबकि धापा देवी मृत्क प्रहलाद की बहिन नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के बुजुर्गों द्वारा सम्पत्ति को हडप करने की नियत् से मृत्क प्रहलाद की बहिन बताया जाकर उक्त नामा. राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से खोला गया है, जबकि धापा देपी ना तो प्रथम श्रेणी की वारिस थी एव ना ही द्वितीय श्रेणी की वारिस थी अर्थात धापा देवी मृत्क प्रहलाद एवं उनकी सम्पत्ति से दूर–दूर तक कोई वास्ता सम्बन्ध नहीं था मात्र सम्पत्ति हडप करने की नियत् से उक्त नामा. खोला है। उक्त नामा. भरते समय प्रहलाद को ना औलाद फौत बताया है जो कि उनकी मृत्यु के समय उनके तीन पुत्र दो पुत्रियां थी एक पुत्र प्रभुदयाल ना औलाद फौत हो गया था इसलिए उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया। मृत्क के नाम ग्राम करीरी में अन्य कृषि भूमियां थी उनकी मृत्यु के बाद विरासत का नामा. अपीलान्ट एवं अन्य वारिसान् के नाम से तसदीक हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा रेस्पोस्डेन्ट संख्या 08 व 09 के पक्ष में जरिये विक्रय–पत्र से नामा.सं. 681 दिनांक 06/8/2001 खुलवाया है, जो विधि विरूद्व है। उक्त नामा.सं. 36 तस्दीक करते समय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रहलाद के प्रथम श्रेणी के वारिसान् की जांच करते किन्तु ऐसा नहीं कर प्रथम श्रेणी के वारिसान् को छुपाया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के पुर्वजों द्वारा मृत्क प्रहलाद की बहिन बताकर उक्त नामा. तस्दीक किया है जो विधि विरूद्व है, जिसे अपास्त किया जावें।

16. वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गयी। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 09 के वकील द्वारा अपनी बहस में अभिकथन किया है कि सम्वत् 2039 के मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख.नं. 1396 मी. से हाल ख.नं. 1285, साबिक ख.नं. 1368 से हाल ख.नं. 1286 साबिक ख0नं.1360 से हल ख.नं. 1291 बने है से साबिक ख.नं. 29 से हाल ख.नं. 36 बने हैं। ग्राम करीरी तहसील विराटनगर की जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 में खाता संख्या 228 में प्रहलाद पिता भागीरथ के नाम आराजी ख.नं. 1360, 1386, 1396 मी. तथा ख.नं. 29 अंकित है, जिसका नामा.सं. 360 से मु0 धापा देवी बेवा जानकीलाल के नाम स्वीकार हो चुका है का अंकन है तथा खसरा गिरदावरी ग्राम करीरी तहसील विराटनगर में धापा देवी बेवा जानकीलाल द्वारा फसल काश्त करना अंकित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा.सं. 36 वाके ग्राम करीरी का पूर्ण जांच कर विधि सम्वत स्वीकार किया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमों में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 08 व 09 के पक्ष में जरिये विक्रय–पत्र से नामा.सं. 681 दिनांक 06/8/2001 को स्वीकार होना वर्णित किया है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के पूर्वज के नाम नामा. खोला जाना तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के नाम नामां. सं. 681 स्वीकार होना उक्त सभी कार्यवाही निरंन्तर होने के उपरान्त अपीलान्ट द्वारा उक्त ख.नं. 36 वाके ग्राम करीरी तहसील विराटनगर को चुनौती दी है, जो मियाद बहार है। उक्त नामा.सं. 36 विधि अनुरूप स्वीकार हुआ है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तु की गयी अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज फरमावें।

17. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड साक्ष्य शहादत का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष वकील द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन करने पर पाया कि नामा.सं. 36 वाके ग्राम करीरी भू.अ.नि. अमरसर मृत्क प्रहलाद की विरासत का नामा. तहसीलदार द्वारा दिनांक 23/6/89 को स्वीकार किया जाना पाया गया। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि सम्वत 2039 के मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख.नं. 1396 मी. से हाल ख.नं. 1285 साबिक ख.नं. 1368 से हाल ख.नं. 1286, साबिक ख. नं. 1360 से हाल ख.नं. 1291 तथा साबिक ख.नं. 29 से हाल ख.नं. 36 बने हैं। ग्राम करीरी तहसील विराटनगर की जमाबंदी सम्वत 2032 से 2035 में खाता संख्या 228 में प्रहलाद पिता भागीरथ के नाम आराजी ख.नं. 1360, 1386, 1396 मी. तथा ख.नं. 29 अंकित है, जिसका नमा.सं. 360 स्वीकार होकर धापा देवी बेवा जानकीलाल के नाम स्वीकार हुआ है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2037 में धापा देवी बेवा जानकीलाल द्वारा फसल काश्त अंकित है। इस प्रकार समस्त राजस्व रिकॉर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के पुर्वजों धापा देवी का नाम अंकन है। उक्त नामा. स. 36 स्वीकार द्वारा तहसीलदार दिनांक 23/6/1986 को विरासत का स्वीकार हुआ है, जो विधि अनुरूप स्वीकार हुआ है तथा इसके उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 के द्वारा विक्रय–पत्र का नामा.सं. 681 दिनांक 06/8/2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या 08 व 09 के पक्ष में स्वीकार हुआ है। इसके उपरान्त भी बिना आधार एवं साक्ष्य सबूत बिना अपीलान्ट द्वारा नामा. सं. 36 वाके ग्राम करीरी को खारिज कराने का निवेदन किया है वह विधि विरूद्व है जो अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमावें।

चूँकि ग्राम करीरी तहसील विराटनगर की जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 के अवलोकन से खाता संख्या 228 पर प्रहलाद पिता भागीरथ के नाम ख.नं. 1360, 1386, 1396 मी. तथा ख.नं. 29 अंकित है, जिसका नामा.सं. 360 धापा देवी बेवा जानकीलाल के नाम स्वीकार हुआ है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2037 में धापा देवी बेवा जानकीलाल द्वारा फसल काश्त अंकित है। वकील अपीलान्ट द्वारा भी अपनी बहस में जाहिर किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 07 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 8 व 9 के पक्ष में जरिये विक्रय–पत्र से नामा.सं.681 दिनांक 06/8/2001 स्वीकार हुआ हे। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26/11/2019 को उक्त नामा. संख्या 36 दिनांक 23/6/1986 को चैलेन्ज किया है जो मियाद बहार पेश किया है। वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात् पेश नहीं किये जिससे साबित हो सके कि उक्त नामा. की कार्यवाही गलत हुयी है। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील चलने योग्य नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारित की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामा.सं. 36 वाके ग्राम करीरी दिनांक 23/6/1986 को स्वीकार हुआ है। उक्त नामा. स्वीकार के सम्बन्ध में अधिनस्थत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

18. यह निर्णय आज दिनांक 24.9.21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)